



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ

दूरभाष संख्या: (0522) 2732193, फैक्स संख्या: 2732185.

पत्रांक: जी.बी.टी.यू./प्र०प०/विधान परिषद/2011/1337

दिनांक: 24 जनवरी, 2011

सेवा में,

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयवद्ध

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासन द्वारा वित्त पोषित तथा

निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण/व्यवसायिक संस्थान।

विषय: मूल प्रमाण पत्र एवं जमा फीस वापसी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 2717/सोलह-1-2010-2(सीक्यू-1)/2010 दिनांक 2.11.10 एवं शासन के पत्र सं० 2717/सोलह-1-2010-2(सीक्यू-1)/2010 दिनांक 6.1.2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2010 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित मा० सदस्य विधान परिषद डा० यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या-38 के संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि०/रा०प्र०प०/2008/1311 दिनांक 24.9.08 के माध्यम से उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित द्वितीय काउन्सिलिंग जो दिनांक 12.9.08 से 16.9.08 तक सम्पन्न कराई गई थी। उक्त काउन्सिलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों का प्रवेश दूसरी संस्था में हो गया था जहाँ पर वे प्रवेश भी ले लिए थे, परन्तु प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम से पूर्व में जिन संस्थाओं में वे प्रवेश लिए थे कतिपय संस्थाओं द्वारा अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र एवं संस्था में जमा शुल्क वापस नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 24.9.08 द्वारा जमा शुल्क एवं मूल प्रमाण पत्र वापस किये जाने के निर्देश दिए गये थे। सूचित है कि आपकी संस्था से उक्त अवधि के दौरान प्रवेशित छात्रों के कितने अभ्यर्थियों की फीस वापस की गई, किसकी नहीं वापस की गई, इस आशय की सूचना शासन द्वारा निम्न प्रारूप पर मांगी गई है।

क्रमांक	वर्ष 2008 में द्वितीय काउन्सिलिंग से प्रभावित होने वाले छात्र का नाम	प्रथम काउन्सिलिंग में आवंटित कालेज का नाम, जिसमें प्रवेश लिया	द्वितीय काउन्सिलिंग में आवंटित कालेज	प्रथम कालेज द्वारा छात्र की जमा फीस वापस की गई अथवा नहीं? यदि वापस कर दी गई तो उसका विवरण
---------	--	---	--------------------------------------	---

चूँकि प्रकरण विधान परिषद से संबंधित है अतः प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार अधिकतम एक सप्ताह के अंदर उक्त प्रारूप पर सूचना फैक्स/विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे सूचना को संकलित कर शासन को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(यू० एस० तोमर)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: श्री अनिल कुमार बाजपेई, अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 6.1.11 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

(यू० एस० तोमर)

कुलसचिव